सं. 06/01/2024 –रा.भा. (सेवा) OL(Service)
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
राजभाषा विभाग/ Department of Official Language

एनडीसीसी – II भवन
NDCC – II Building,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
4th Floor, B- Wing, Jai Singh Road
नई दिल्ली / New Delhi – 110 001
दिनांक/ Dated: **12** दिसम्बर/ December, 2025

कार्यालय ज्ञापन/ Office Memorandum

विषय: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों के संवर्ग बाह्य पदों (सीधी भर्ती) हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के संबंध में/ Regarding the forwarding of applications of the officers/personnel of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) for Ex-cadre posts (Direct Recruitment).

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राय: यह देखा गया है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (CSOLS) के तैनाती के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवर्ग बाह्य पदों (सीधी भर्ती) के लिए कार्मिकों से प्राप्त आवेदनों को संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् राजभाषा विभाग से संवर्ग स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्मिकों के आवेदन संवर्ग से बाह्य मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय को सीधे भेज देते हैं।

With reference to the above, the undersigned is directed to state that it has been observed that the Ministries/Departments/Offices where the personnel of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) are posted, often forward the applications received from CSOLS personnel for Ex-cadre posts (Direct Recruitment) directly to the concerned external Ministry/Department/Office without obtaining Cadre Clearance from the Cadre Controlling Authority, i.e., Department of Official Language, MHA.

2. उपर्युक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा विभाग के का. ज्ञा. सं. 07/97/98 – रा. भा. (सेवा), दिनांक 23.2.2000 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जो, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) में शामिल हैं, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों से संवर्ग बाह्य पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता इत्यादि को जांच करके स्वयं अग्रेषित करें, तत्पश्चात इस विभाग से कैडर क्लीरेंस प्राप्त करने हेतु इसकी प्रति पृष्ठांकित कर दी जाए।

In this regard, it is clarified that as per the Department of Official Language Office Memorandum No. *07/97/98–OL (Service)* dated *23.02.2000*, it is clearly stipulated that the concerned participating Ministry/Department/Office of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) shall examine and forward the applications received from the CSOLS personnel for Ex-cadre posts (Direct Recruitment) on their own, and thereafter, send a duly verified copy of the same to this Department for obtaining **Cadre Clearance**.

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 – स्था. (ग) के बिन्दु 2.1 के अंतर्गत बिन्दु 2.1.1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "**त्यागपत्र को तकनीकी औपचारिकता तब माना जाता है जब किसी सरकारी सेवक ने उसी अथवा किसी अन्य विभाग में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया हो और चयन होने पर, प्रशासनिक कारणों से पिछले पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित हो। इस प्रकार के त्याग-पत्र को तकनीकी त्याग-पत्र माना**

जाएगा यदि इस शर्तों को पूरा किया गया हो। इसके साथ ही उल्लेख किया गया है कि जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी सेवक को उचित माध्यम से आवेदन को अग्रेषित करने की अनुमति न दी हो, उन मामलों सहित, अन्य मामलों में त्याग-पत्र को तकनीकी त्याग-पत्र नहीं माना जाएगा और पिछली सेवा के हितलाभ देय नहीं होंगे।"

As per para *2.1*, sub-para *2.1.1* of the Department of Personnel & Training (DoPT) Office Memorandum No. *28020/1/2010–Estt. (C)* dated *17.08.2016*, it has been clearly mentioned that *"a resignation shall be treated as a technical formality where a Government servant has applied through proper channel for a post in the same or another Department, and is on selection, required to resign from the previous post due to administrative reasons. Such resignation shall be treated as a technical resignation if the prescribed conditions are fulfilled."* It is further stated that in cases where the competent authority has **not permitted the forwarding of the application through proper channel**, including such cases as well as other situations, the resignation shall **not** be treated as a technical resignation and the **past service benefits shall not be admissible**.

4. अत: उपर्युक्त के संबंध में, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (CSOLS) के सभी कार्मिकों तथा सभी भागीदार मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि संवर्ग बाह्य पदों (सीधी भर्ती) हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से संवर्ग अनापत्ति प्रमाण पत्र (Cadre Clearance) प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा तकनीकी त्याग – पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

Therefore, in view of the above, all personnel of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) and all participating Ministries/Departments/Offices are hereby directed that for forwarding any application for Ex-cadre posts (Direct Recruitment), it shall be **mandatory** to obtain **Cadre Clearance (No Objection Certificate)** from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, otherwise technical resignation will not be entertained and post-facto approval will not be granted for the same.

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This order is issued with the approval of the competent authority.

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
(Lt. Col. Ram Naresh Sharma)
निदेशक/Director(सेवा/service)
दूरभाष: 011-23438125

सेवा में/ To,

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के निदेशक (प्रशासन/ स्थापना)/ Directors (Administration/Establishment) of all Ministries/Departments/Offices concerned with the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS).
2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/ कर्मचारी/
All Officers/Staff of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS).
3. तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें
Technical Director (NIC). It is requested to arrange for uploading this Office Memorandum on the website of the Department of Official Language.